क्रम-संख्या–251

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 30 दिसम्बर, 2024

पौष 9, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 2813 / वि0स0 / संसदीय / 111(सं)–2024

लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 17 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''1–(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण किये जाने के दिनांक से एक वर्ष का होगा।

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेगा।

(ग) अध्यक्ष, एक सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा''।

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए एक आयोग स्थापित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1995) अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के संबंध में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में यह उपबंध है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा। आयोग के कार्यों को गति देने और सामाजिक न्याय के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति न्याय एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिबद्ध, संवेदनशील, अनुभवी और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों की पात्रता से ऊपरी आयु सीमा की शर्त को अभिमुक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

असीम अरुण
राज्य मंत्री,
(स्वतंत्र प्रभार)
समाज कल्याण।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995

धारा 5–(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 541/XC-S-1–24-47S-2024
Dated Lucknow, December 30, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusoochit Jaati Aur Anusoochit Janjaati Ayog (Sanshodhan) Vidheyak, 2024 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 19, 2024.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Caste and Schedule Tribes Act, 1995.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 17th day of September, 2024 .

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 16 of 1995

2. *For* sub-section (1) of section 5 of the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"1. (a) The tenure of the Chairman, Vice-Chairman or member, shall be one year from the date of his assuming office.

(b) The Chairman, Vice-Chairman or member shall hold his office during the pleasure of the State Government.

(c) The Chairman shall not be eligible for reappointment as a member".

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 14 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 (U.P. Act No. 16 of 1995), has been enacted to establish a Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the matters connected therewith or incidental thereto.

In relation to the appointment of Chairman, Vice-Chairman or member in the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes section 5 of the aforesaid Act provides that the Chairman, the Vice-Chairman or any other member shall not hold office as such after attaining the age of 65 years. In order to give momentum to the works of the Commission and widen the spectrum of social justice, it was decided to dispense with the upper age limit condition from the eligibility of the members to ensure the appointment of the committed, sensitive, experienced and senior dignitaries working in the field of Scheduled Castes and Scheduled Tribes justice and welfare.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P Ordinance No. 14 of 2024) was promulgated by the Governor on September 17, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

ASIM ARUN
Rajya Mantri,
(Swatantra Prabhar)
Samaj Kalyan.

———————

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 425 राजपत्र–2025–(1138)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।